

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर0ए0एस0

देबी पिता मांगु चमार आंखो से अंधा जरिये वाद मित्र कालूराम पुत्र देबीलाल चमार निवासी सांगरिया
तहसील फूलियाकलां

— वादी

बनाम

- 1- मु0 तेजी पुत्री पन्ना चमार पत्नि हरनाथ चमार निवासी सांगरिया हाल रहड़ तह0 शाहपुरा
- 2- तहसीलदार, फूलियाकलां

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955
मुकदमा नम्बर 133 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X..... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

अभिभाषक वादी के नोट प्रेस पर वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करें।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 15 माह 02 सन् 2018 से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा